


टयालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिकी किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रेजात डिकी किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिकी के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार से आपत्ति नही किये जाने से एवं कुर्रेजात राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिकी जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।


उपखण्ड-अधिकारी
चाकसू(जयपुर)